न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA152 Tarachand Vs State

ताराचन्द पुत्र छोटूलाल माली
निवासी सोढो की ढाणी, ग्राम बागा,
तहसील व जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 28/2014 राजस्थान सरकार बनाम छोटूलाल व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 28/2014 राजस्थान सरकार बनाम छोटूलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 14 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम बांगा जिला जोधपुर स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 30 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा में से 25 गुणा 11 गुणा 1.5 मीटर कृषि भूमि पर अवैध खनन मानते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि :

1. अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी छोटूलाल पुत्र मांगीलाल का दिनांक 05 फरवरी 2014 को ही देहान्त हो चुका था। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके कायममुकामान की कार्यवाही किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एक मृत पक्षकार के खिलाफ पारित आदेश शून्य प्रभावी होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील मीमो के साथ प्रपत्र तीन के संलग्न मृत्यु प्रमाण की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें छोटूलाल पुत्र मांगीलाल का देहान्त 05 फरवरी 2014 को हो जाना अंकित किया हुआ है।
2. इसी संबंध में विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट कथन किया कि मृतक अप्रार्थी के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

177 का मूल प्रकरण ही अबेट हो जाने के कारण जरिये अबेटमेण्ट काबिले खारिज है।

3. अपीलाण्ट के पिता अप्रार्थी छोटूलाल के खिलाफ न तो कोई नोटिस/सम्मन अपीलाण्ट पर तामील हुआ और न ही अपीलाण्ट ने पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता ही नियक्त किया। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशका दिनांक 02 नवम्बर 2018 में बिना किसी आधार के अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। इनका जबाब पवन्द किया जाता है। पत्रावली दिरनांक 18/11/2018 को पेश हो।

4. ग्राम बागां के खसरा संख्या 30 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा आराजी में किसी प्रकार का कोई खनन ही नहीं है। वास्तव वादग्रस्त आराजी के पास खसरा संख्या 32 राजकीय भूमि है, जिसमें कुछ खड्डे है और सही नाप के अभाव में उक्त सरकारी भूमि को ही खसरा संख्या 30 बताया जा रहा है।

5. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के तहत नियमानुसार तामील होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है और तामील होने के बाद यदि जबाब पेश होता है तो उस स्थिति में एक नियमित वाद के समान कार्यवाही की जाना होता है, अन्यथा तहसीलदार वं खनन विभाग को साक्ष्य सबूत पेश कर केस को साबित करना होता है।

6. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के लिए मियाद की सीमा तीन साल की है, इसलिए यह देखा जाना आवश्यक है कि कब कार्यवाही की गयी और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में धारा 177 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है अथवा नहीं।

अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अप्रार्थी को भेजे सम्मन लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ आए है जो सम्यक तामील की श्रेणी में शुमार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसंम्मतः पारित किया गया है। सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि -

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पायां जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय

की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।

3. दिनांक 11 जून 2015 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी-अपीलाण्ट के नोटिस विधिवत तामील नहीं होने के कारण पुनः पेश होने पर जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 15 दिसम्बर 2017 की आदेशिका में भी अप्रार्थी के नोटिस जारी होकर मिसल दिनांक 05 जनवरी 2018 को पेश होने बाबत लिखा गया है।

4. इसके बाद भी किसी आदेशिका में अप्रार्थी-अपीलांण्ट की ओर से किसी अधिवक्ता या स्वयं अप्रार्थी-अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अंकित नहीं है और न ही उक्त दिनांक की आदेशिका के अनुसरण में कोई नोटिस जारी किया जाना अथवा उक्त आदेशिका की दिनांक के बाद कोई नोटिस उक्त अपीलाण्ट पर तामीलशुदा या अदम-तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नही है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशका दिनांक 02 नवम्बर 2018 में अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। इनका जबाब बन्द किया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/11/2018 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

इससे **स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।**

5. अपील मीमों के साथ अपीलाण्ट की ओर से छोटूलाल पुत्र मांगीलाल की मृत्यु का प्रमाणपत्र पेश किया गया है। उक्त मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार छोटूलाल का देहान्त 05 फरवरी 2014 को हो चुका था और अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक **07 फरवरी 2014 को दर्ज किया गया एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019** को पारित किया गया है, मगर उक्त छोटूलाल पुत्र मांगीलाल के कायममुकामान की कार्यवाही नहीं की गयी है। जाहिर है कि प्रथमतः अप्रार्थी छोटूलाल के कायममुकामान की कार्यवाही के अभाव में उक्त प्रकरण अबेट हो चुका था। द्वितीय अपीलाधीन आदेश/निर्णय मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है।

6. समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 30 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा में से 25 गुणा 11 गुणा 1.5 मीटर भूभाग पर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। **मगर यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया** है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हदूदो आदि का विवरण नहीं दिया गया है न ही इसखसरे का कुल रकबा ही अंकित किया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश की कियान्विति में व्यावहारिक कठिनाईयॉ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साफ दृष्टिगोचर होती है और अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के इस कथन को भी बल मिलता है कि समस्त मौका रिपोर्ट आदि कागजी कार्यवाही मात्र है।

7. रिकार्ड पर उपलब्ध एक मौका फर्द दिनांक 20 फरवरी 2000 के अनुसार उक्त खसरा संख्या 30 में अवैध खनन संयुक्त सर्वे के दौरान छोटूलाल पुत्र मांगीलाल गंढेरों की ढाणी नाम से अवैध खनन के प्रकरण में सेवन से खसरा संख्या 32 की बजाय खसरा संख्या 30 दर्ज हो गया था, जो जांच में उक्त पिट खसरा संख्या 32 में पाया गया। इससे साबित है कि पटवारी निरीक्षक दिनांक 8 मार्च 2013 के दिन खनन नहीं हो रहा था। जो अलामात पाये गये, वे खसरा संख्या 32 में है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर